वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2017/576/52-3-17-बजट(8)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 08 □□, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-11/328/□□0□□0□□0/2017, दिनांक 20.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 □□ प्रस्तर-2(7) □□□2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 राज्य हज समिति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्रान्तीय हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 189.70 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12वां भाग रु0 79.04 □□ (रू0 उन्नासी लाख चार हजार मात्र) एवं वेतनादि के अतिरिक्त अन्य व्ययों को वहन करने हेतु 20 □□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□) □□ में प्राविधानित धनराशि रू0 55.00 लाख के अनुमानित व्यय □ 5/12वां भाग रू0 22.91 □□ (रू0 बाइस लाख इक्यानवें हजार मात्र) तथा पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य □□□□□) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.46 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12□□ भाग रू0 04.36 □□ (रू0 चार लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 106.31 □□ (रू0 एक करोड़ छः लाख इकत्तीस हजार) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) वेतन मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/ □□□□□□ प्रमाण-पत्र शासन को 31.08.2017 □□ □□□ □□□□□ □□□□□ (गैर वेतन मद में) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा। पाँच माह के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाँटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशों का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें- 800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को □□□□-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□)/31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□)/ 53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या- 576 (1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नियं□□
□□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।